



७२५।।

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

पत्रांक : ८४३४/२८/७६/एक/२०१८-१९  
सेवा में,

दिनांक : १० दिसम्बर 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-सहारनपुर।

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010064759942	IFSC Code UTIB0000420	63.667

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	सहारनपुर	म०६०-८३	न०नि० सहारनपुर	वार्ड सं० 13 की पुष्पांजली विहार (जनता रोड) नारायण शर्मा के मकान से रामकुमार के मकान तक, रामकुमार के मकान से श्याम सुन्दर के मकान तक, विनय कुमार के मकान से राजेश पुण्डीर के मकान तक, राजेश पुण्डीर के मकान से सतीश कुमार शर्मा व बलराम-ज्ञानचन्द के मकान तक, संदीप कुमार के मकान से मांगेराम, शाकुम्बरी सैटरिंग से बबलू व मैनपाल के मकान तक, शाकुम्बरी सैटरिंग से मोहित गुलाटी व राजेश पुण्डीर के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य। पार्ट-02	19.093
2	सहारनपुर	म०६०-८३	न०नि० सहारनपुर	शिवेन्द्र विहार में हर्ष ज्वैलर्स से राजेन्द्र के मकान तक, नागर यादव के मकान से रामजाण के मकान तक, राजेन्द्र के मकान से उधल सिंह के मकान तक, उधल सिंह के मकान से दशरथ गोस्वामी (अर्यन्त एकेडमी वाली गली) तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य। पार्ट-02	12.122
3	सहारनपुर	म०६०-८३	न०नि० सहारनपुर	वार्ड सं० 13 की पुष्पांजली विहार (जनता रोड) विपिन कुमार के मकान से लालचन्द, लालचन्द के मकान से आत्माराम, रमेश की चढ़की से अमरीश के मकान तक, बलराम सैनी से रमेश के मकान तक, थापा मोमोज के मकान से जगबीर के मकान से राजपाल के मकान तक, सचिन धीमान के मकान से अशोक की दुकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य। पार्ट 01	20.792





३२५१

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ—226027  
Website-sudaup.org

4	सहारनपुर	म0ष0-83	न0नि0 सहारनपुर	वार्ड सं0 13 की पुष्टांजली विहार (जनता रोड) मास्टर प्रदीप कुमार के मकान से रामपाल के मकान तक (जनता रोड) सुरेश चन्द्र से सोनू के मकान तक, सुरेश पाल के मकान से मैन जनता रोड तक/श्याम सिंह सैनी के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य। पार्ट-03	11.660
	योग				63.667

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित द्व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि ढूढ़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी

W

W



२५३

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक / परिओ अधिर, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
- कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक